संख्या-37/2019/1838/22-2-2018-17(91)/2017

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी साजिद अकबर पुत्र श्री हकीम अली अकबर, निवासी जनपद-बिजनौर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक 07.08.2018 दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी साजिद अकबर पुत्र श्री हकीम अली अकबर, जो नि0-मो0 कटारमल, थाना-चांदपुर, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.05.1990 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-325/1992 में भा0द0वि0 की धारा- 302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के आदेश दिनांक 02.09.1994 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.05.2018 तक 03 वर्ष 08 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 09 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, काटी गयी सजा व कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी साजिद अकबर (बन्दी संख्या-47519) पुत्र श्री हकीम अली अकबर, निवासी जनपद-बिजनौर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-37/2019/1838(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in